आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी-वीडियो कांफ्रेंस सोल्यूशन/4387 /2021

राष्ट्रीय आवास बैंक में वीडियो कांफ्रेंस सोल्यूशन की खरीद

पर प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187000; 011-39187113; 011-39187196
E-Mail: susanta.padhi@nhb.org.in; aparajita.jain@nhb.org.in

बोली सार		
1.	बोली दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	11.08.2021, Wednesday
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक*	17.08.2021, Tuesday, 1500 Hrs
3.	बोली दस्तावेजों की बिक्री/ डाउनलोड की अंतिम तिथि और समय	01.09.2021, Wednesday, 1700 Hrs
4.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	01.09.2021, Wednesday, 1800 Hrs
5.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय #	02.09.2021, Thursday, 1500 Hrs
6.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित की जायेगी
7.	आरएफपी की लागत	₹ 25,000/- (अप्रतिदेय)
8.	बोली खोलने का स्थान *(यदि वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी तो ईमेल पर बोलीदाता को सूचित किया जाएगा)*	राष्ट्रीय आवास बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

टिप्पणी:-

- *कोविड के चलते, बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के भाग 3.1 के अनुसार ईमेल पर बोली पूर्व प्रश्न भेज सकते हैं या ऑनलाइन तरीके से आमने सामने प्रश्नों/स्पष्टीकरणों के लिए रा.आ.बैंक के नामित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक भेज सकते हैं।
- #तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। बैठक लिंक रा.आ.बैंक द्वारा अग्रिम में ईमेल के माध्यम से साझा किया जाएगा।
- *किसी भी परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित कर या नामित संपर्क व्यक्ति से ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।*
- इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

1. परिचय

1.1 प्रयोजन

- राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) (बाद में बैंक के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, 5 वर्ष की अवधि हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण की खरीद, संस्थापना, कमीशनिंग, अनुरक्षण और समर्थन हेतु योग्य वेंडरों से प्रस्ताव की मांग करता है।
- बैंक सफल बोलीदाता के साथ 5 वर्ष के लिए सेवा अनुबंध करेगा। कार्य आदेश प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए रखा जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन समीक्षा के आधार पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- प्रस्ताव के लिए अनुरोध दस्तावेज़ में ऐसी जानकारी से प्राप्त बयान शामिल हैं, जिसे तिथि पर प्रासंगिक माना जाता है, लेकिन सभी जानकारी प्रदान करने के लिए अभिप्रेत नहीं है जो एक इच्छुक अनुबंध पार्टी को यह निर्धारित करने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो सकता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ अनुबंध या व्यवस्थामें प्रवेश करना है या नहीं। इस दस्तावेज़ में दी गई या दी गई किसी भी जानकारी या कथन की सटीकता या पूर्णता के बारे में न तो एनएचबी और न ही इसका कोई कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार, या सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, देता है।न तो राष्ट्रीय आवास बैंक और न ही उसके किसी कर्मचारी, एजेंट, ठेकेदार, या सलाहकार ने दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से की सामग्री के संबंध में एक स्वतंत्र ऑडिट या सत्यापन अभ्यास किया है या नहीं करेगा।
- इसके विपरीत किसी भी कानून के अधीन, और कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, राष्ट्रीय आवास बैंक और उसके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट, और सलाहकार किसी भी व्यक्ति द्वारा या इस आरएफपी दस्तावेज़ में निहित पूर्वानुमानों, बयानों, अनुमानों, या आकलनों सहित किसी भी जानकारी के कारण कार्रवाई करने से बचना या इसके लिए सहायक आचरण करना चाहे किसी लापरवाही, चूक, देखभाल की कमी या गलत बयानी के संबंध में नुकसान या क्षति उत्पन्न हुई हो या नहीं राष्ट्रीय आवास बैंक या उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, एजेंट या सलाहकार की ओर से किसी भी नुकसान या क्षति (चाहे निकट हो या नहीं) से सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना

- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई और भोपाल में है।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

सामान्य निर्देश

- बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी निर्देशों, रूपों, नियमों और विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेजों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली खारिज हो सकती है और यह बोलीदाता के स्वयं के जोखिम पर होगी।
- संविदात्मक करार के निष्पादन तक किसी भी बोलीदाता और बैंक के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होगा।
- बोलीदाता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर/वेंडरों को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- बोलीदाता को आरएफपी के लिये बैंक के जवाब में, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

एस. के. पाढ़ी महाप्रबंधक ईमेल: susanta.padhi@nhb.org.in टेलीफोन: 011-39187113; 01139187000-एक्स.113	अपराजिता जैन उप प्रबंधक ई-मेल: aparajita.jain@nhb.org.in फोन: 011-39187196; 01139187000-एक्स. 196

फैक्स: +91 - 11 – 24649432	फैक्स : +91 - 11 – 24649432

- रा.आ.बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ.बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से किसी भी कार्यदिवस पर प्रात: सुबह 10 से सायं 5:00 बजे (अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार) के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।
- रा.आ. बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करने वाली बोलियां आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और बाद में न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों पूरी करने वाली बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।

3.1 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक ऑनलाइन/ऑफलाइन आयोजित करना चाहता है। **सभी बोलीदाताओं के प्रश्न बोली पूर्व बैठक की तिथि के कम से कम दो दिन पहले लिखित में ईमेल द्वारा या डाक द्वारा उपरोक्त ई-मेल/पोस्टल पते पर पहुंच जाना चाहिए।** यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी एनएचबी की वेबसाइट http://www.nhb.org.in. पर उपलब्ध कराई जाएगी

3.3 आरएफपी की लागत

i. निविदा / आरएफपी की कीमत 25,000/- रु. तय की गई है। बोलीदाता को आवश्यक रूप से 25,000/- रु. (पच्चीस हजार रुपए मात्र) जमा करने होंगे। खाते का विवरण नीचे दिया गया है। भुगतान का प्रमाण केवल "तकनीकी प्रस्ताव" लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीकृत एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) को वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन आरएफपी की लागत के भुगतान से छूट दी जाएगी। जिन बोलीदाताओं ने निविदा के लिए संदर्भ संख्या एनएचबी/आईटीडी/आरएफपी वीडियोकांफ्रेंससोल्यूशन/3091/2021 के साथ निविदा शुल्क पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें निविदा शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।

खाता विवरण:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी पता	कोर 5ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी बैंक शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता संख्या	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफसीएस कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर संख्या	110002658

ii. कृपया ध्यान दें कि ई-भुगतान के प्रमाण के बिना प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4 निविदा/आरएफपी की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

5 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

6 बोली/निविदा दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को अलग से प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक कीमत की बोली (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति प्रस्तुत करेगा। **यह अनिवार्य है।** वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली'का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवाय) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

11 बोली मुद्रा

- बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।
-

12 कार्य-निष्पादक्ता गारंटी

- अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

13 चलनिधि क्षति

- अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

14 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
-
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी

15 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

- प्रत्येक बोली दो भागों में जमा होगी:

- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली एवं मास्क्ड वाणिज्यिक बोली (किसी भी कीमत के बिना कीमत बोली) शामिल है। उपरोक्त कंटेन्ट "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

- भाग II : "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।

- मूल बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोलीदाता के लिए बाध्य विधिवत प्राधिकृत एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

16 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे:
    - महाप्रबंधक
    - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
    - राष्ट्रीय आवास बैंक
    - कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
    - लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
  - सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
  - बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग लिफाफे में रखा जाएगा।
  - यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर “वीडियो कॉन्फ्रेंस सौल्यूशन की खरीद के लिए तकनीकी प्रस्ताव" और "वीडियो कॉन्फ्रेंस सौल्यूशन की खरीद के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव” अलग से लिखा हो।
  - यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
  - ऐसी बोलियां जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

17 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

  - बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
  - रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

18 विलंब से प्राप्त बोलियां

- रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

19 बोलियों में संशोधन और/ या आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली-पूर्व बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति / गैर-सुपुर्दगी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

20 बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बैंक समिति द्वारा बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी जो निर्दिष्ट तिथि पर बैठक में भाग लेने का विकल्प चुनते हैं।
- तकनीकी बोली खोलने का स्थान : प्रधान कार्यालय, रा.आ.बैंक
- बोलीदाता का नाम और आरएफपी लागत की उपस्थिति या अनुपस्थिति और ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हो बैंक जब उचित समझे अपने विवेक पर तकनीकी बोली खोलने के समय घोषित कर सकता है।

21 बोलियों पर स्पष्टीकरण

- बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

22 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

24 बोलीदाताओं को निर्देशः

बोलीदाता बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही शामिल करेगा।

25 मूल्य संरचना एवं विचलन

- बोलीदाता को **अनुलग्नक 'ट'** में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श की लागत से संबंधित कोई मूल्य अंतर पर विचार नहीं किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि साइन-ऑफ की तिथि होगी। यदि लागू हो, तो समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए उक्त तिथि पर विचार किया जाएगा।

26 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

- बोलीदाता के पास इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए जैसा कि इस आरएफपी में वर्णित है।
-

27 मैनुअल एवं डॉइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

28 बोली मूल्यांकन

- अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

29 संशोधन एवं वापसी

एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

30 मूल्य का प्रकटन

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएग। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

31 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुलग्नक- 'ग' के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

32 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

33 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

34 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

35 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी

सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

36 कानूनों का अनुपालन

क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

37 बौद्धिक संपदा अधिकार

सेवा प्रदाता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्ति समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अत: इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रकियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

38 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

39 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधः

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

बोलीदाता को **अनुलग्नक 'ध'** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।

इस खंड के प्रयोजन हेतु:

बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

"इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ:-

(i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या

(ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या

क. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या

ख. संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या

ग. संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या

घ. साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या

ङ. सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

40 वर्तमान सेटअप

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

41 कार्य-क्षेत्र

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

42 सेवा स्तरीय करार एवं अर्थदंड खंड

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

43 परियोजना अनुसूची

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

44 बोली प्रक्रिया (2 स्तर)

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

45 वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

46 सामान्य नियम एवं शर्तें

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What's New

*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX